

कार्यालय निदेशाक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डौगढ़

आदेशा क्रमांक 23/136-2002 वि 13/23

दिनांक चण्डौगढ़ 27-3-2003

जैसे पब्लिक स्कूल पलवल पुरोदा बाद को केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र कम्प्यूनिटी सेंटर प्रति बिहार नई दिल्ली से शैक्षणिक सत्र 2002-03 से
मैट्रिक स्तर तक को सम्बद्धता लेने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित
शर्तों पर प्रदान किया जाता है:-

1. इस विद्यालय को भूमि/प्रबन्धक कमेटी के विरुद्ध कोर्ट केस/शिकायत लाम्बत ना हो।
2. हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 तथा इसके तहत बनाये जा रहे नियमों के अनुसार हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करनी होगी।
3. हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनेंगे पब्लिक विद्यालय को मान्य होंगे।
4. हरियाणा शिक्षा विभाग के निर्देशा/दिवायती को पालना करना होगा।

सुरीना राजन

निदेशाक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डौगढ़

पृष्ठ सं. क्रमांक सम दिनांक चण्डौगढ़ 31.3.2003

इसको एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी पुरोदा बाद को 3 नंके प्रक्रमांक जे.ए. 2002/2199 दिनांक 3-7-2002 के सदर्भ में भेजी जाते है।
2. त विद्य. केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्प्यूनिटी सेंटर प्रति बिहार नई दिल्ली-110019.
3. त सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य।

Principal
Dharam Public School
Palwal-121102 (Hr.)

Attested
उपअधीक्षक विद्यालय-1

श्री. निदेशाक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

ATTESTED

Principal
Dharam Public School
Palwal-121102 (Hr.)